

कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.



दूरभाष नं.-(07632-248414)

email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक/तकनीकी/

2331

बालाघाट, दिनांक 02/04/2025

“डिमाण्ड नोट”

प्रति,

महाप्रबंधक,
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक- 1,
बालाघाट (म.प्र.)

विषय:- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत कान्द्रीकला से कट्टीपार तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु 7.47 हेक्टेयर वनभूमि महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत।
(ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/ROAD/155493/2022 एवंप्रकरण क्रमांक WL/MP/ROAD/465890/2024)

संदर्भ :- (1) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-एमपीआर 019/2023-बीएचओ दिनांक 05.11.2024
(2) कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1253/2023/10-11/5541, 5542 दिनांक 11.11.2024
(3) कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल का पत्र क्रमांक/वन्यजीव/व.त.अ.-1/27.08/432, 433 दिनांक 13.01.2025

-00-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों, जिनकी प्रतिलिपी आपको पृष्ठांकित प्रेषित है, का अवलोकन करें। सुलभ संदर्भ हेतु उपरोक्त संदर्भित तीनों पत्रों की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही एवं अधिरोपित शर्तों का पालन किये जाने हेतु संलग्न भेजी जाती है। विषयान्तर्गत वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में वनसंरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक/6-एमपीआर 019/2023-बीएचओ दिनांक 05.11.2024 द्वारा प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों (भाग A अन्तर्गत 01 से 15 तक एवं भाग B अन्तर्गत 01 से 17 तक) के अन्तर्गत जारी की गई है, एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल के उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक/एफ-5/1253/2023/10-11/5541, 5542 दिनांक 11.11.2024 द्वारा लेख किया है कि स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार आवेदक संस्थान को वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना एवं नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि ऑनलाईन कैम्पा मद में राशि जमा करने हेतु मांग पत्र जारी करें। जिन शर्तों के पालन में आवेदक संस्थान से वचन पत्र प्राप्त किया जाना है, प्राप्त कर पालन प्रतिवेदन के साथ भिजवाए। साथ ही प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरण/नामांतरण, फार्म पी-2, कब्जा रसीद आदि की प्रति भिजवायें। प्रकरण में वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर बालाघाट के प्रमाण पत्र की प्रति भी भिजवाए। प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत आरक्षित अथवा संरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना प्रारूप अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन भू-अभिलेख) को पालन प्रतिवेदन के साथ प्रतिलिपि भेजें एवं भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त (A) 11 a एवं b के पालन में मार्ग के किनारे-किनारे रोपण योजना तैयार कर एकजाई मांग पत्र में उक्त राशि कैम्पा मद में जमा कराने की कार्यवाही कर रोपण योजना इस कार्यालय को भिजवाए। तथा भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड कर भिजवाए, ताकि प्रकरण में भारत सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

(A) संदर्भित पत्र क्रमांक 1 एवं 2 अन्तर्गत

अतएव तत्संबंध में आपको लेख कर सूचित किया जाता है, कि विषयांकित वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के उपरोक्त संदर्भित पत्र

क्रमांक/6-एमपीआर 019/2023-बीएचओ/ दिनांक 05.11.2024 द्वारा जारी प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त अनुसार निम्नानुसार वांछित राशियों का भुगतान, अधिरोपित शर्त क्र० A: (1), (4), (5), (11) a,b की राशि अधिरोपित शर्त क्र० A: (6) अन्तर्गत दिये गये निर्देश अनुसार भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के CAMPA fund में e-portal (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से जमा कराने का कष्ट करे :-

(1) **क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) की राशि :-**

अधिरोपित शर्त क्र० A: (1) एवं B: (2) अन्तर्गत क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) हेतु आवेदक विभाग/संस्थान द्वारा कलेक्टर जिला- बालाघाट के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./0032/अ-59 वर्ष 22-23 पारित आदेश दिनांक 05.12.2022 द्वारा वन विभाग को उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि (घास चराई) ग्राम- टेकाडी (भ), प०ह०न० 42, तह० कटंगी, जिला बालाघाट के खसरा क्र० 356 में रकबा 8.000 हेक्टेयर (प्रस्ताव FP/MP/ROAD/155493/2022) भूमि की 11 वर्षीय तैयार योजनानुसार (संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी वारासिवनी (सा.) के पत्र प्रतिवेदन क्रमांक 256 दिनांक 13.03.2023 एवं उपवनमण्डल अधिकारी कटंगी (सा.) के पत्र प्रतिवेदन क्रमांक 569 दिनांक 15.03.2023 अनुसार) आंकलित राशि **रु० 49,71,916.00 (रु० उनपचास लाख, इकहत्तर हजार, नौ सौ सोलह मात्र)** जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य वनसंरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा उनके आदेश क्र०/व्यय/70 दिनांक 29.03.2023 एवं पत्र पृ.क्रमांक/व्यय/1284 दिनांक 29.03.2023 से प्रदान की गई हैं। उक्त तैयार योजना में शासन के कैम्पा मद में जमा करने हेतु राशि **रु० 49,71,916.00 (रु० उनपचास लाख, इकहत्तर हजार, नौ सौ सोलह मात्र)** का आंकलन कर दर्शित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार उल्लेखित क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) की आंकलित कुल राशि **रु० 49,71,916.00 (रु० उनपचास लाख, इकहत्तर हजार, नौ सौ सोलह मात्र)** का भुगतान जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.- A: (6) में दिये निर्देशानुसार भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई-पोर्टल (<https://Parivesh.nic.in>) के माध्यम से शासन के कैम्पा (CAMPA) मद में तत्काल जमा कराने का कष्ट करें।

तथा आवेदक विभाग/संस्थान कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-11/भू-प्रबंध/सम./3091 दिनांक 27.09.2013 द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार उक्त प्रकरण में राज्य शासन वन विभाग/नोडल अधिकारी द्वारा वन भूमि व्यपवर्तन की अंतिम चरण औपचारिक स्वीकृति जिस वित्तीय वर्ष में जारी की जावेगी, उस वर्ष के मजदूरी दर के आधार पर क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना संशोधित की जावेगी, तथा संशोधित योजना अनुसार अन्तर की राशि को जमा करने हेतु आवेदक विभाग/संस्थान महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक- 1, बालाघाट (म.प्र.) बाध्य होगा, तत्संबंधी इस आशय का एक "वचन-पत्र" आवेदक विभाग/संस्थान इस वनमंडल कार्यालय में शीघ्र प्रस्तुत करें।

(2) **बिगड़े वनक्षेत्र (Degraded forest land) में वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) की राशि :-**

अधिरोपित शर्त क्र० A: (4) एवं B: (3) अन्तर्गत बिगड़े वनक्षेत्र (Degraded forest land) में वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) हेतु संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी कटंगी (सा.) परिक्षेत्र द्वारा उनके पत्र प्रतिवेदन क्रमांक 365 दिनांक 13.03.2023 एवं उपवनमण्डल अधिकारी कटंगी (सा.) उपवनमण्डल द्वारा उनके पत्र प्रतिवेदन क्रमांक 533 दिनांक 13.03.2023 से प्रेषित परिक्षेत्र कटंगी (सा.) अन्तर्गत वनकक्ष क्रमांक 763 पी.एफ. में रकबा 39.000 हेक्टेयर (05 प्रस्तावों के लिए समेकित (1) FP/MP/Road/156107/2022 (2) FP/MP/Road/156133/2022 (3) FP/MP/Road/155398/2022 (4) FP/MP/Road/156162/2022 (5) **FP/MP/Road/155493/2022**) भूमि की 11 वर्षीय तैयार योजनानुसार आंकलित राशि **रु० 1,62,16,427.00 (रु० एक करोड़, बहासठ लाख, सोलह हजार, चार सौ सत्ताईस मात्र)** जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य वनसंरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा उनके आदेश क्र०/व्यय/58 दि० 17.03.2023 एवं पत्र पृ.क्रमांक/व्यय/1184 दिनांक 17.03.2023 से प्रदान की गई हैं। उक्त तैयार योजना में शासन के कैम्पा मद में जमा करने हेतु राशि **रु० 1,62,16,427.00 (रु० एक करोड़, बहासठ लाख, सोलह हजार, चार सौ सत्ताईस मात्र)** का आंकलन कर दर्शित किया गया है।

चूंकि उपरोक्तानुसार बिगड़े वनक्षेत्र (Degraded forest land) में वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) की राशि का आंकलन एकजाई रुप से समेकित प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/Road/156107/2022 अन्तर्गत किया जा कर 05 प्रस्तावों अन्तर्गत कुल आंकलित राशि **रु० 1,62,16,427.00 (रु० एक करोड़, बहासठ लाख, सोलह हजार, चार सौ सत्ताईस मात्र)** आपके द्वारा शासन के कैम्पा (CAMPA) मद में ऑनलाईन दिनांक 04.01.2024 जमा कराई जा चुकी है।

अतएव ऐसी स्थिति में विषयांकित उक्त प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/155493/2022 में बिगडे वनक्षेत्र (Degraded forest land) में वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) की राशि नहीं ली जा रही है।

(3) नेट प्रेजेंट वैल्यू (N.P.V.) की राशि हेतु गणना :-

अधिरोपित शर्त क्र० A: (5) एवं B: (4) अन्तर्गत प्रकरण में संलग्न अभिलेख प्रपत्र भाग-II एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित अनुसार आवेदित प्रस्तावित वनक्षेत्र में वनों की श्रेणी Eco Class III एवं वनों का घनत्व 0.5, 0.6 हैं। अतः म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल के पत्र आदेश क्रमांक/एफ-5/16/2000/10-3 दिनांक 12 सितम्बर 2008 तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक/F.No.5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्रमांक/File No. 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) म०प्र० भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/2022/10-11/66 दिनांक 07.01.2022 एवं पत्र क्रमांक/एफ-5/2022/10-11/250 दिनांक 20.01.2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार "वनों की ईको वैल्यू श्रेणी (वनो का प्रकार व घनत्व के आधार पर) Class-III (Tropical Dry Deciduous Forests) ऊष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, वनों का घनत्व-मध्यम घनत्व वन (0.5 से 0.7), Dense अनुसार राशि रुपये 12,28,590.00 प्रति हेक्टेयर की दर से निम्नानुसार आंकलित होती है -

7.47 हे० X 12,28,590.00 लाख प्रति हे० = राशि **रु० 91,77,568.00** (रुपये इनक्यानबे लाख, सतहत्तर हजार, पांच सौ अडसठ मात्र)

अतः उपरोक्तानुसार उल्लेखित नेट प्रेजेंट वैल्यू (N.P.V.) की आंकलित कुल राशि **रु० 91,77,568.00** (रुपये इनक्यानबे लाख, सतहत्तर हजार, पांच सौ अडसठ मात्र) का भुगतान जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.- A: (6) में दिये निर्देशानुसार भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई-पोर्टल (<https://Parivesh.nic.in>) के माध्यम से शासन के कैम्पा (CAMPA) मद में तत्काल जमा कराने कष्ट करें।

तथा साथ ही जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.- B: (4) अंतर्गत विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V.) के अतिरिक्त कोई राशि देय होती है, तो यह राशि आपसे (उपयोगकर्ता अभिकरण/आवेदक विभाग/संस्थान से) वसूली जायेगी, अतः आप उपयोगकर्ता अभिकरण/आवेदक विभाग/संस्थान, इस आशय का एक वांछित वचन पत्र (Undertaking) बनाकर 05 प्रतियों में इस वनमण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करें। तथा उपरोक्त अधिरोपित शर्त अनुसार वनभूमि का वर्तमान शुद्ध मूल्य (Net Present Value) की आंकलित राशि में लगाई गयी दरों में भविष्य में परिवर्तन इत्यादि होने पर आंकलित राशि के अंतर की राशि इत्यादि जमा करने के संबंध में भी एक "वचन-पत्र" बनाकर 05 प्रतियों में संलग्न प्रेषित करने का कष्ट करें।

(4) रोड़ साईड प्लांटेशन की राशि :-

प्रकरण में अधिरोपित शर्त क्रमांक (A) 11a एवं b अन्तर्गत रोड़ साईड प्लांटेशन हेतु वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम लांजी (सा.) परिक्षेत्र के पत्र प्रतिवेदन क्रमांक/585 दिनांक 24.03.2025 एवं उपवनमंडलाधिकारी लांजी (सा.) उपवनमंडल के पत्र प्रतिवेदन क्रमांक/597 दिनांक 24.03.2025 से प्राप्त 11 वर्षीय तैयार योजनानुसार आंकलित राशि रुपये **56,82,820.00** (रुपये छप्पन लाख, बियासी हजार, आठ सौ बीस मात्र) जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा उनके आदेश क्रमांक/व्यय आं./106 दिनांक 28.03.2025 एवं पत्र पृ.क्र./व्यय आं./1613 दिनांक 28.03.2025 से प्रदान की गई है। उक्त तैयार योजना में शासन के कैम्पा मद में जमा करने हेतु राशि रुपये 56,82,820.00 (रुपये छप्पन लाख, बियासी हजार, आठ सौ बीस मात्र) का आंकलन कर दर्शित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार उल्लेखित आंकलित कुल राशि रुपये **56,82,820.00** (रुपये छप्पन लाख, बियासी हजार, आठ सौ बीस मात्र) का भुगतान शासन के कैम्पा (CAMPA) मद में तत्काल जमा कराने का कष्ट करें।

इस संबंध में वन मुख्यालय भोपाल कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/2023/10-11/4104 दिनांक 13.09.2023 द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार आवेदक संस्थानों को कैम्पा मद में राशि जमा करने का मांग पत्र निम्नानुसार निर्धारित प्रपत्र में उल्लेखित है :-

प्रपत्र

स. क्र.	मद का नाम	रकबा (हे० में)	घनत्व (Density)	ईको क्लास श्रेणी	राशि	रिमार्क (यदि कोई हो तो)
1	2	3	4	5	6	7
1	नेट प्रेजेंट वैल्यू (N.P.V.) की राशि	7.47	0.5, 0.6	Eco Class III (Tropical Dry Deciduous Forest) ऊष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन)	(7.47X12,28,590 प्रति हे०) = 91,77,568.00 (रु. इनक्यानबे लाख, सतहत्तर हजार, पांच सौ अडसठ मात्र)	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 अनुसार
योग राशि-					91,77,568.00	

2	क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) की राशि	8.000	—	—	49,71,916.00 (रु. उनपचास लाख, इकहत्तर हजार, नौ सौ सोलह मात्र)	मु. व. सं. बालाघाट वनवृत्त द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश क्र०/व्यय/70 दि० 29.03.2023 अनुसार
योग राशि—					49,71,916.00	
3	रोड़ साईड प्लांटेशन की राशि	-	—	—	56,82,820.00 (रुपये छप्पन लाख, बियासी हजार, आठ सौ बीस मात्र)	मु. व. सं. बालाघाट वनवृत्त द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश क्र०/व्यय आं./106 दि० 28.03.2025 अनुसार
योग राशि—					56,82,820.00	
4	बिगड़े वनक्षेत्र (Degraded forest land) में वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) की राशि	चूंकि उपरोक्तानुसार अन्तर्गत बिगड़े वनक्षेत्र (Degraded forest land) में वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) की राशि का एकजाई रूप से 05 प्रस्तावों के लिए समेकित (1) FP/MP/Road/156107/2022(2) FP/MP/Road/156133/2022 (3) FP/MP/Road/155398/2022 (4) FP/MP/Road/156162/2022 (5) FP/MP/Road/155493/2022) कुल आंकलित राशि रु० 1,62,16,427.00 (रु० एक करोड़, बहासठ लाख, सोलह हजार, चार सौ सत्ताईस मात्र) आपके द्वारा शासन के कैम्पा (CAMP) मद में ऑनलाईन दिनांक 04.01.2024 को जमा कराई जा चुकी है। अतएव विषयांकित उक्त प्रकरण में उपरोक्त अनुसार पृथक से बिगड़े वनक्षेत्र (Degraded forest land) में वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) की राशि जमा नहीं की जाना है।				

अतः उपरोक्त बिंदु क्रमांक (1), (2), (3) एवं (4) तथा निर्धारित प्रपत्र में उल्लेखित राशियों का भुगतान जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.- A: (6) में दिये निर्देशानुसार भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई-पोर्टल (<https://Parivesh.nic.in>) के माध्यम से शासन के कैम्पा (CAMP) मद में तत्काल जमा कराने का कष्ट करे। तथा आपके विभाग/संस्थान द्वारा शासन के CAMP मद में ई-पोर्टल के माध्यम से जमा कराई गयी उपरोक्त राशियों की सूचना एवं संबंधित अभिलेख आदि की सत्यापित प्रति तत्काल इस वनमण्डल कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तथा इसके अतिरिक्त

(B) संदर्भित पत्र क्रमांक 3 अन्तर्गत

उपरोक्त विषयांकित वन्यजीव अनुमति के प्रकरण में कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक/वन्यजीव/व.त.अ.-1/27.08/432, 433 दिनांक 13.01.2025 द्वारा लेख किया गया है, कि उपर्युक्त संदर्भित पत्र से जारी वन्यजीव अनुमति में अधिरोपित शर्त क्र० 1 एवं शर्त क्र० 5.2 के अनुसार राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 64वीं बैठक दिनांक 07.08.2021 में एजेंडा क्रमांक 64.2.1 में लिये गये निर्णय अनुसार वन्यप्राणी कॉरिडोर के विकास एवं कॉरिडोर में प्रस्तावित मार्ग निर्माण की प्रोजेक्ट कास्ट की 2 प्रतिशत की राशि मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 16वीं बैठक दिनांक 05.12.2017 के एजेंडा क्र० 16.4 में लिये गये निर्णय अनुसार म.प्र. टाईगर फाउन्डेशन सोसायटी के भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा टी.टी. नगर, भोपाल के बचत खाता क्रमांक 10571048460 आई.एफ.एस.सी. कोड SBIN0001308 में जमा कराई जावे। आवेदक संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व नियमानुसार एन.पी.वी. की राशि कैम्पा मद में जमा कराई जावे। तथा अधिरोपित शर्तों के संबंध में पालन प्रतिवेदन (Compliance Report) वनमंडलाधिकारी दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमंडल के माध्यम से प्रेषित किया जावे।

अतएव उपरोक्तानुसार जारी वन्यजीव अनुमति में अधिरोपित शर्त क्र० 1 एवं शर्त क्र० 5.2 के अनुसार राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 64वीं बैठक दिनांक 07.08.2021 में एजेंडा क्रमांक 64.2.1 में लिये गये निर्णय अनुसार वन्यप्राणी कॉरिडोर के विकास एवं कॉरिडोर में प्रस्तावित मार्ग निर्माण की प्रोजेक्ट कास्ट राशि 546.00 लाख की 2 प्रतिशत (5,46,00,000/- की 2 प्रतिशत) राशि रु० 10,92,000/- (रुपये दस लाख बयानबे हजार मात्र) मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 16वीं बैठक दिनांक 05.12.2017 के एजेंडा क्र० 16.4 में लिये गये निर्णय अनुसार म.प्र. टाईगर फाउन्डेशन सोसायटी के भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा टी.टी. नगर, भोपाल के बचत खाता क्रमांक 10571048460 आई.एफ.एस.सी. कोड SBIN0001308 में जमा कराई जावे तथा जमा कराई गई राशि की रसीद UTR नम्बर सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

तत्पश्चात उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों (भाग A अंतर्गत 01 से 15 तक एवं भाग B अंतर्गत 01 से 17 तक) के संबंध में शर्तवार वांछित वचन पत्रों सहित अनुपालन प्रतिवेदन मय अभिलेखों आदि सहित तत्काल इस वनमण्डल कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे, एवं पालन प्रतिवेदन वेब पोर्टल पर भी अपलोड करावे। ताकि आपके विभाग/संस्थान से प्रकरण में अधिरोपित समस्त शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन इस वनमण्डल कार्यालय में प्राप्ति होने पर उसे वरिष्ठ कार्यालय को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके। कृपया प्रकरण में वन मुख्यालय भोपाल द्वारा जब तक औपचारिक स्वीकृति जारी नहीं की जाती है, एवं आपको कार्य करने/क्षेत्र हस्तांतरण की अनुमति जारी नहीं की जाती है, तब तक विषयांकित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई गैर वानिकी कार्य नहीं किया जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(अधर गुप्ता)

भा०व०से०

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा०) वनमंडल, बालाघाट Page 4 of 5

- [illegible]

(अधर गुप्ता)

भावसे

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा0) वनमंडल, बालाघाट Page 5 of 5